अपील सूचना अधिकार संख्या 46/2017 श्री नेम चंद पुत्र श्री आत्माराम जाति सिंधी जरिये पंजाबी सूट दुपटटा सेंटर इंद्रा बाजार श्रीविजयनगर बनाम श्रीविजयनगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04–07–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नेमचंद उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2017 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से दो बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी जो उसे उसके चाहे अनुसार उपलब्ध नही करवाई गई है। उनके द्वारा जानबूझकर सूचना दबाई गई है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाई जावे और उनको दण्डित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री नेमचंद ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2017 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. दिनांक 14.01.2008 से 30.04.2008 तक जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय में डाक रसीद रजिस्टर का निरीक्षण।
2. पत्रावली 108 दिनांक 10.03.2008 आरटीआई पत्रावली विरूद्ध भगवती गैस एजेन्सी श्री विजयनगर की पत्रावली का निरीक्षण।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3224 दिनांक 25.05.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के रजि0 पत्र सं0 2900 दिनांक 26.04.2017 सूचित कर दिया गया था जो निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

इस सम्बन्ध में लेख है के बिन्दु संख्या 1 में वर्णित दिनांक 14.01.2008 से 30.04.2008 तक का रिसीप्ट रजिस्टर काफी तलाश करने पर भी उपलब्ध नही हो रहा है। अतः निरीक्षण करवाया जाना सम्भव नही है।

बिन्दु संख्या 2 में वर्णित पत्रावली तल्फ की जा चुकी है जिसके सम्बन्ध में आपको दिनांक 28.07.2015 को इस कार्यालय में उपस्थित होने पर अवगत करवाया जा चुका है। इस प्रकार आपको निरीक्षण करवाने के लिये रिकार्ड में उपलब्ध नही है।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक बिन्दु सं0 2 का संबंध है इसमें वर्णित पत्रावली तलफ की जा चुकी है। इसलिए इससे बिन्दु से संबंधित रिकार्ड का निरीक्षण नही करवाया जा सकता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस बिन्दु के हद तक दिया गया उक्त उत्तर सही तो सही है। जहां तक बिन्दु संख्या 1 का प्रश्न है इस बिन्दु से संबंधित दिनांक 14.01.08 से 30.04.08 तक का रिसिप्ट रजिस्टर उपलब्ध नही होने के कारण निरीक्षण नही करवाया गया है जो उचित नही है। अपने कार्यालय रिकार्ड को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व पीठासीन अधिकारी का है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि बिन्दु सं0 1 की सूचना से संबंधित रिसीप्ट रजिस्टर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर–2 आवश्यक रूप से तलाश करवावे और उपलब्ध होने पर अपीलार्थी को निरीक्षण करवावें। अगर तलाश करने के बावजूद भी रजिस्टर उपलब्ध न हो तो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावे और इसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी दी जावे।

अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर